

मुकदमा संख्या 15/18 विविध

2018/00118

डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड पता एस-5, सैकिण्ड फ्लौर, गीजगढ टावर, हवा सड़क, सिविल लाईन,
जयपुर (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलेश शर्मा

—प्रार्थी



: ब ना म :

श्री मेहबूब अली पुत्र श्रीजाति मुसलमान निवासी म.नं. 143, वार्ड नं. 5, नोखा
कानपुरा बस्ती, तहसील नोखा जिला बीकानेर (राज.) 334803 एवं वार्ड नं. 5, नोखा, जिला
बीकानेर (राज.) (ऋणी)

2. श्री मजूर खान पुत्र श्री जाति मुसलमान निवासी म.नं. 143, वार्ड नं. 5, नोखा मण्डी,
कानपुरा बस्ती, तहसील नोखा जिला बीकानेर (राज.) 334803 एवं वार्ड नं. 5, नोखा, जिला बीकानेर
(राज.)

3. श्रीमती खातून पत्नी श्री मंजूर अली जाति मुसलमान निवासी म.नं. 143, वार्ड नं. 5, नोखा मण्डी,
कानपुरा बस्ती, तहसील नोखा जिला बीकानेर (राज.) 334803 एवं वार्ड नं. 5, नोखा, जिला बीकानेर
(राज.) (सहऋणी)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल
एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री कंवरलाल शर्मा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता हाजिर नहीं।

: आ दे श :

दिनांक 29.05.2018

1. प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी को ऋण सुविधा के तौर पर दिनांक 24.07.2014 को रूपये 2,50,000/- की राशि उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में अप्रार्थी/ऋणी द्वारा वार्ड नं. 5, कानपुरा बस्ती, नोखा जिला बीकानेर तादादी 107.51 वर्गगज को प्रार्थी बैंक के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/बैंक के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर अप्रार्थी/ऋणी के खाते को दिनांक 04.05.2017 को एन.पी.ए. धोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के खाते में रूपये 2,49,270/- दिनांक 13.06.17 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बैंक के विरुद्ध बकाया निकलते है। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते को एन.पी.ए. धोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी/जमानती को दिनांक 13.06.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना-पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी/ऋणी/ जमानती द्वारा प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे। प्रार्थी बैंक द्वारा इस प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

